भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4856

23.03.2026 को उत्तर के लिए

सीएएमपीए निधि का अल्प उपयोग

4856. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी निधि अंतरित की गई हैं;

(ख) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कितनी राशि अप्रयुक्त पड़ी है और केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की अगस्त, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, स्वीकृत 38,516 करोड़ रुपये में से राष्ट्रीय उपयोग दर लगभग 67.5 प्रतिशत रहने के क्या कारण हैं;

(ग) जनवरी 2026 में, कैग की टिप्पणियों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश ने 169.73 करोड़ रुपये को छह वर्षों तक खर्च नहीं किया और हरियाणा ने 2019-24 के दौरान स्वीकृत 1,000 करोड़ रुपये का केवल 55 प्रतिशत ही उपयोग किया; और

(घ) हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं के वार्षिक अनुमोदन के बावजूद निधियों का लगातार अल्प उपयोग करने के लिए राज्य सीएएमपीए और प्रयोक्ता एजेंसियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक अथवा सुधारात्मक कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): पिछले पाँच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को हस्तांतरित किए गए कुल प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (काम्पा) निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग): राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार ₹12,515.30 करोड़ की राशि अव्ययित है। निधियों के कम उपयोग के कारणों में से एक कारण यह है कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक संचालन योजना में अनुमोदित

विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु राज्य वन विभागों को धनराशि जारी करने में विलंब होता है।

(घ): प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यों द्वारा गठित शासी निकाय तथा संचालन समिति को राज्य काम्पा निधि से जारी धनराशि के उपयोग की प्रगति की निगरानी करने तथा सुधारात्मक कदम उठाने का दायित्व सौंपा गया है। इसमें कार्यान्वयन की समीक्षा, गतिविधियों का पुनः प्राथमिकता निर्धारण तथा निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु उपयोगकर्ता एजेंसियों को निर्देश जारी करना शामिल है।

*****

अनुलग्नक-I

‘सीएएमपीए निधि का अल्प उपयोग’ के संबंध में एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा दिनांक 23.03.को 2026 उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभाअतारांकित प्रश्न संख्या 4856 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21 के दौरान हस्तांतरण	2021-22 के दौरान हस्तांतरण	2022-23 के दौरान हस्तांतरण	2023-24 के दौरान हस्तांतरण	2024-25 के दौरान हस्तांतरण	2025-26 (25) के दौरान हस्तांतरण
1	अंडमान और निकोबार (यूटी)	16.41	-	-	15.21	-	22.74
2	आंध्र प्रदेश	-	114.05	-	88.16	260.32	83.41
3	अरुणाचल प्रदेश	-	612.95	-	509.97	647.81	1,029.01
4	असम	-	-	148.34	43.63	191.22	51.83
5	बिहार	-	43.64	-	86.85	252.11	40.24
6	चंडीगढ़ (यूटी)	-	-	-	0.29	-	0.42
7	छतीसगढ	-	207.50	-	388.72	909.62	293.49
8	दादरा एवं नगर तथा दमन एवं दीव (यूटी)	-	22.87	-	15.99	8.12	14.90
9	दिल्ली (यूटी)	-	138.17	-	143.99	32.07	19.72
10	गोवा	-	-	-	174.33	82.06	24.30
11	गुजरात	-	-	-	387.04	477.48	361.69
12	हरियाणा	-	-	-	615.38	157.50	108.64
13	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	308.30	784.65	142.81
14	जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)	356.20	-	-	39.99	150.99	61.47
15	झारखंड	-	-	-	1,262.55	1,317.47	730.42
16	कर्नाटक	-	-	-	363.44	642.62	136.25
17	केरल	-	-	-	14.47	8.75	9.87
18	लद्दाख	249.27	-	-	25.78	1,035.61	66.18
19	मध्य प्रदेश	-	990.83	-	3,342.29	1,364.02	803.12
20	महाराष्ट्र	-	285.22	-	211.02	692.89	398.09
21	मणिपुर	-	36.44	-	84.26	175.07	59.73
22	मेघालय	-	-	-	31.34	26.67	12.47
23	मिजोरम	-	-	-	17.81	25.98	7.55

24	नागालैंड	-	-	-	-	-	0.00
25	ओडिशा	-	347.27	-	1,258.49	1,539.79	498.40
26	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	0.01
27	पंजाब	-	-	29.49	236.98	178.03	70.84
28	राजस्थान	-	-	-	222.07	167.12	200.52
29	सिक्किम	-	-	10.20	88.82	181.90	30.02
30	तमिलनाडु	-	-	-	20.81	41.46	10.31
31	तेलंगाना	-	-	67.76	190.95	118.41	127.73
32	त्रिपुरा	-	48.00	-	84.59	92.34	20.28
33	उत्तर प्रदेश	-	-	-	467.35	388.95	119.65
34	उत्तराखंड	-	-	119.00	312.13	191.26	156.52
35	पश्चिम बंगाल	-	-	69.28	183.25	141.00	31.88
	कुल	**621.88**	**2,846.95**	**444.08**	**11,236.22**	**12,283.28**	**5,744.53**

***